**समाचार**

**सम्पत्तिकर वृद्धि के पूर्व आदेश को किया गया निरस्त**

**(माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सुनिश्चित करने आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने आदेश जारी कर दिए निर्देश)**

कोरबा 14 दिसम्बर 2018 -सम्पत्तिकर आरोपण में वार्षिक भाडा मूल्य वृद्धि के द्वारा सम्पत्तिकर में वृद्धि किए जाने के तत्कालीन निगम आयुक्त के आदेश के विरूद्ध कोरबा विधायक श्री जयसिंह अग्रवाल की रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा आयुक्त के उक्त आदेश को निरस्त किए जाने संबंधी दिए गए निर्णय के परिपालन में आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने आज आदेश जारी कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

यहां उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा में सम्पत्तिकर आरोपण के संबंध में वार्षिक भाडा मूल्य वृद्धि के द्वारा कर वृद्धि किए जाने के हेतु तत्कालीन आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आदेश जारी किया गया था। कोरबा विधायक श्री जयसिंह अग्रवाल ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट पिटीशन दायर की गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा विधायक श्री जयसिंह अग्रवाल की याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.(टी.)/64/2017 सह पठित डब्ल्यू.पी.(टी.)/2 /2018 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 03.08.2018 के द्वारा तत्कालीन आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के आदेश दिनांक 01.04.2016 के द्वारा सम्पत्तिकर आरोपण में वार्षिक भाडा मूल्य में की गई 50 प्रतिशत वृद्धि के आदेश को अपास्त/निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए उक्त निर्णय का पालन सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने आज एक आदेश जारी कर निगम के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।